"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 जनवरी 2026 — पौष 26, शक 1947

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16 जनवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक RULE-801/313/2025-GAD-1.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) एवं (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 2 के कॉलम (4) में, सरल क्रमांक "तीन" के कॉलम (3) में प्रविष्टि "तेईस" के तत्स्थानी शब्द "योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग" के स्थान पर, शब्द "योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग" प्रतिस्थापित किया जाए।

2. नियम 2 के सरल क्रमांक "तीन" के कॉलम (3) में प्रविष्टि "तिरतालीस" के कॉलम (4) में, तत्स्थानी शब्द "20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग" का लोप किया जाए।

3. नियम 2 के सरल क्रमांक "छः" के कॉलम (3) में प्रविष्टि "चवालिस" के कॉलम (4) में, तत्स्थानी शब्द "सार्वजनिक उपक्रम विभाग" का लोप किया जाए।

उक्त नियमों की अनुसूची में,-

1. शीर्षक "ग्यारह - वाणिज्य और उद्योग विभाग" के अंतर्गत, भाग (अ) "विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय" के सरल क्रमांक 22 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

"22-क. नीति-क्रियान्वयन तथा सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यप्रणाली से संबंधित सामान्य दिशानिर्देशों के निरूपण संबंधी विषय.
22-ख. निगमों के सर्वोपरि प्रबंधकीय पदों पर नियुक्तियाँ.
22-ग. निगमों की सामान्य समस्याएं.
22-घ. प्रबंधन प्रणालियों, प्रबंधन प्रक्रियाओं, रिपोर्टिंग प्रणालियों का समन्वय."

2. शीर्षक "ग्यारह - वाणिज्य और उद्योग विभाग" के अंतर्गत, भाग (ई) "अधिनियमों के अधीन गठित मण्डल तथा निगम" में, शब्द "कुछ नहीं" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"1. छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल तथा राज्य सड़क परिवहन निगम तथा सहकारी सोसाइटियों को छोड़कर संबंधित विभागों द्वारा गठित निगम."

3. शीर्षक "तेईस" में, शब्द "योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग" के स्थान पर, शब्द "योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग" प्रतिस्थापित किया जाए।

4. शीर्षक "तेईस - योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग" के अंतर्गत, भाग (अ) "विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय" के सरल क्रमांक 14 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अंत:स्थापित किया जाएं, अर्थात्:-

"14-क. 20 सूत्रीय कार्यक्रम, 1986 के क्रियान्वयन की प्रगति की मानीटरिंग एवं समीक्षा करना.

14-ख. भूमि सेना से संबंधित शेष कार्यों को पूरा करना.

14-ग. राज्य/जिला/विकास खण्ड स्तरीय एवं शहरी क्षेत्र के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम समितियों का

गठन.

14-घ. भारत सरकार, योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग) द्वारा 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में, समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करना.

14-ङ. सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं की मानीटरिंग एवं समीक्षा."

5. शीर्षक "तेईस - योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग" के अंतर्गत, भाग (आ) "विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम" के सरल क्रमांक 8 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

"9. छत्तीसगढ़ लोक अभिकरणों के माध्यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1980 (क्र. तेइस सन् 1980).

10. छत्तीसगढ़ लोक अभिकरणों के माध्यम से बीस सूत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन नियम, 1997.

11. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन अधिनियम, 1991 (क्र. 14 सन् 1991).

12. छत्तीसगढ़ (लोक अभिकरणों के माध्यम से) दीनदयाल अंत्योदय कार्यक्रम का कार्यान्वयन नियम, 1991."

6. अनुसूची के शीर्षक "तैंतालीस- बीस सूत्र कार्यान्वयन विभाग" तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए।

7. शीर्षक "चवालीस - सार्वजनिक उपक्रम विभाग" तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अविनाश चम्पावत, सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16 जनवरी 2026

क्रमांक RULE-801/313/2025-GAD-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-(3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक RULE-801/313/2025-GAD-1, दिनांक 16/01/2026 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चम्पावत, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 16th January 2026

NOTIFICATION

No. RULE-801/313/2025-GAD-1.- In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Government Business (Allocation) Rules, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In column (4), corresponding to entry "Twenty Three", in column (3) of serial number "Three" of rule 2 for the words "Planning, Economics and Statistics Department", the words "Planning, Economics and Statistics and 20 Points Implementation Department" shall be substituted.

2. In column (4), corresponding to entry "Forty Three" in column (3) of serial number "Three" of rule 2, the words "20 Points Implementation Department" shall be omitted.

3. In column (4), corresponding to entry "Forty Four" in column (3) of serial number "Six" of rule 2, the words "Public Undertakings Department" shall be omitted.

In Schedule of the said rules,-

1. Under heading XI- COMMERCE AND INDUSTRY DEPARTMENT, after serial number 22 and entries relating thereto of Part (A) Matter of Policy dealt within the Department, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

"22-a. Matters connected with the formulation of general guidelines relating to the implementation of policy and the functioning of public undertakings.
22-b. Appointments to top managerial positions in corporations.
22-c. General problems of corporations.
22-d. Coordination of management systems, management procedures, reporting systems."

2. Under heading XI- COMMERCE AND INDUSTRY DEPARTMENT, in

Part (D) "Boards and Corporations set up under Acts", for the word "Nil", the following shall be substituted, namely:-

"1. Corporations constituted by the concerned Departments except Chhattisgarh Electricity Board and State Road Transport Corporation and Co-operative Societies."

3. In heading XXIII, for the words "PLANNING, ECONOMICS AND STATISTICS DEPARTMENT", the words "PLANNING, ECONOMICS AND STATISTICS DEPARTMENT AND 20 POINTS IMPLEMENTATION DEPARTMENT" shall be substituted.

4. Under heading XXIII- PLANNING, ECONOMICS AND STATISTICS DEPARTMENT, after serial number 14 and entries relating thereto of Part (A) Matters of Policy dealt within the Department, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely:-

"14-a. Review and Monitoring of progress of implementation of the "20-Point Programme, 1986".

14-b. Completion of residual work relating to Land Army.

14-c. Formation of 20-Point Programme Committees at State/District/Block level and for Urban Areas.

14-d. To ensure follow-up action according to instructions issued from time to time by the Government of India, Ministry of Planning and Programme Implementation (Programme Implementation Department), in regard to execution of 20-Point Programme.

14-e. Review and Monitoring of Social Security Group Insurance Schemes."

5. Under the heading XXIII- Planning, Economics and Statistics Department, after serial number 8 and entries relating thereto of Part (B) Acts and Rules administered by the Department, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-

"9. The Chhattisgarh Lok Abhikaranon Ke Madhyam Se Bis Sutriya Karyakram Ka Karyanvayan Adhiniyam, 1980 (No. XIII of 1980).

10. The Chhattisgarh Lok Abhikaranon Ke Madhyam Se Bis Sutriya Karyakram Ka Karyanvayan Niyam, 1997.

11. The Chhattisgarh (Lok Abhikaranon Ke Madhyam Se) Dindayal Antyoday Karyakram Ka Karyanvayan Adhiniyam, 1991 (No. 14 of 1991).

12. The Chhattisgarh (Lok Abhikaranon Ke Madhyam Se) Dindayal Antyoday Karyakram Ka Karyanvayan Niyam, 1991."

6. The heading XLIII- 20 POINTS IMPLEMENTATION DEPARTMENT

of the Schedule and entries relating thereto, shall be omitted.

7. The heading XLIV-PUBLIC UNDERTAKINGS DEPARTMENT and entries relating thereto, shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AVINASH CHAMPAWAT, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.